[8/3/2021]

प्रश्न सं. [क्र. 2085]

परिशिष्ट - "अ"

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक - 2085

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश

(1250, तुलसी नगर, भोपाल- 462003)

Tele- 0755-2556916, E-mail address: dir.socialjustice@mp.gov.in

क्रमांक/समाज रक्षा/ /2021/ 70 दिनांक 03.01.2020

प्रति,

कलेक्टर,
जिला- भिण्ड
(मध्यप्रदेश)

विषय:- विभागीय मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से संचालित वृद्धाश्रम/ विशेष विद्यालय के संचालन हेतु निराश्रित निधि से अनुदान स्वीकृति बाबत् ।

संदर्भ:- आपका पत्र क्र/संस्था- अनुदान/2020/625, भिण्ड दिनांक 17.12.2020.

----000----

विषयान्तर्गत जिला भिण्ड अन्तर्गत संचालित अशासकीय संस्थाओं के संस्था संचालकों द्वारा नियमित संचालन हेतु निराश्रित निधि से 33.00 लाख स्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया है।

कृपया संलग्न संचालनालयीन पत्र क्रमांक/एन.जी.ओ/2020/49, दिनांक 18.02.20 एवं क्र./एन.जी.ओं/2021/04 दिनांक 07.01.2021 का अवलोकन करें। जिसके द्वारा पूर्व से मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाओं को विभागीय मान्यता एवं अनुदान बाबत् विभागीय पोर्टल (http://www.sparsh.mp.gov.in) पर रजिस्टर करने की प्रक्रिया से अवगत कराते हुए अनिवार्यत: पंजीकरण करने के निर्देश जारी किए गये है, परन्तु किन कारणों से आज दिनांक तक जिला भिण्ड अन्तर्गत संचालित किसी भी अशासकीय संस्था का उक्त पोर्टल पर पंजीकरण नहीं किया गया है, जो कि पारदर्शी प्रक्रिया को न अपनाते हुए संदेहास्पद स्थिति को प्रकट करता है।

श्री गहोई शिक्षा प्रसार समिति तह. लहार जिला भिण्ड अन्तर्गत संचालित वृद्धाश्रम में निवासरत अन्त: वासियों को सूची का परीक्षण किया गया जिसमें सदस्य आई.डी 120988227 श्री श्यामलाल अहिरवार एवं उनकी पत्नी श्रीमती कुंअरबाई (120989405) वृद्धाश्रम में निवासरत है एवं शासन द्वारा नि:शुल्क भरण-पोषण, देखरेख, चिकित्सा, मनोरंजन, सुरक्षा आदि प्रदाय किया जा रहा है परन्तु उनके परिवार में 3 और सदस्य है एवं परिवार आई.डी. 25171627 में उन्हे मिलाकर 5 सदस्य होते है, जो बी.पी.एल परिवार का राशन उनके परिवार द्वारा भी लिया जाना संभावित है, जिससे राज्य शासन का दो

---2---

व्यक्तियों हेतु दो जगह मुफ्त राशन प्रदाय हो रहा है एवं दो अन्य जरूरतमंद उक्त लाभ से वंचित है। यह मात्र एक उद्हरण है दूसरी और माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 नियम 2009 के अन्तर्गत वरिष्ठजनों को परिवार में ससम्मान साथ रहने का अधिकार प्रदत्त है तथा वृद्धाश्रम निराश्रित वृद्धों के लिये संचालित है। अत: जिले के समस्त वृद्धाश्रम के अन्त: वासियों की समग्र परिवार आई.डी. का परीक्षण तथा वृद्धाश्रमों का निरीक्षण कराते हुए समुचित कार्यवाही की जाऐ।

उक्त विषयान्तर्गत सदर्भित ई.पी.ओ. के संदर्भ में कृपया ई.पी.ओ. का माह, विस्तृत मदवार विवरण के साथ जानकारी उपलब्ध कराऐ, ताकि भुगतान हेतु स्वीकृति पर समुचित स्तर से निर्णय लिया जा सके।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(स्वतंत्र कुमार सिंह)
संचालक
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन
कल्याण, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 03.02.2021

पृ. क्रमांक/समाज रक्षा/ /2021/71

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग की ओर सूचनार्थ ।
2. संभागीय आयुक्त, चम्बल संभाग (मध्यप्रदेश) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण जिला भिण्ड (मध्यप्रदेश) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ ।

संचालक
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन
कल्याण, मध्यप्रदेश